संख्या : 1887 / आठ–1–17–36विविध / 2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3 **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 8 सितम्बर, 2017

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार "भागीदारी में किफायती आवास" घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से किफायती आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार "भागीदारी में किफायती आवास" घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से किफायती आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान भी है। परियोजनान्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जायेगा तथा आवासों का आवंटन राज्य सरकार की निगरानी समिति के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिकरण द्वारा किया जायेगा। इस घटक के योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के आवासों हेतु प्रति आवास की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना में 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

2– नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के शासनादेश संख्या–162 / 2016 / 623 / 69–1–2016–14 (139) / 2015 टीसी, दि0 21.03.16 में उल्लिखित है कि 40 प्रतिशत राज्यांश के सापेक्ष रू0 1.00 लाख प्रति आवास राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार एक लाख आवासों के निर्माण हेतु रू0 1000 करोड़ की सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।

3– आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पत्रांक–2404 / पीएमएवाई / 2017 दिनांक 14 जुलाई, 2017 द्वारा जनरल मैनेजर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–HUDCO/LRO/Sch-21163/2017/380 दिनांक 05 जुलाई, 2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हडको द्वारा रू0 1000 करोड़ ऋण की

स्वीकृति से अवगत कराते हुए प्रश्नगत योजना में ऋण लेने की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। हडको के उक्त पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृति कतिपय नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है, जिसमें अनुमोदित किये गये ऋण की ब्याज दर 8.75 प्रतिशत है (एक साल के लिए स्थिर।) ऋण की मुख्य शर्तें निम्नवत हैं :–

(1) ब्याज की दर 8.75 प्रतिशत वार्षिक फ्लोटिंग पैटर्न पर (एक वर्ष के लिए स्थिर)

(2) ऋण की शर्तों का प्रारूप (हडको के नार्म के अनुसार तैयार किये गये ड्राफ्ट/प्रारूप एग्रीमेंट के प्रभावी तिथि के समय होने की आवश्यक परिवर्तन हेतु अधीकृत होंगे)

(3) शासन के वित्त विभाग की तरफ से गारण्टी व री–पेमेंट हेतु बजट की व्यवस्था की वचनबद्धता संबंधी कार्यवाही।

(4) ऋण स्वीकृति संबंधी निर्गत पत्र की वैधानिक अवधि 04 माह हेतु होगी, तदोपरान्त ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी, बशर्ते उक्त तिथि की समाप्ति से पूर्व उसकी समयावृद्धि न करा ली जाय, यह अवधि 09 माह होगी।

4– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "भागीदारी में किफायती आवास" अफोर्डेबुल आवासीय योजना के अन्तर्गत राज्यांश के सापेक्ष कुल 01 लाख आवासों के निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है :–

(1) निर्धारित 01 लाख आवासों का निर्माण विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकास कर्ताओं द्वारा किया जायेगा।

(2) आवासों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा योजना के राज्यांश से सम्बन्धित धनराशि रू0 1.00 लाख प्रति आवास की दर से हुडको से ऋण लिया जायेगा।

(3) आवास एवं विकास परिषद को हडको से ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 1000 करोड़ में से विभिन्न प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं को लक्ष्य के अनुरूप धनराशि उपलब्ध कराया जायेगा, जो ऋण के रूप में होगा। यह लक्ष्य स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0)/सूडा द्वारा लाभार्थियों की सर्वेक्षित सूची के आधार पर अनुमोदित सूची/नगरवार अनुमोदित सूची के अनुरूप होगा।

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा धनराशि विभिन्न प्राधिकरणों/अन्य संस्थाओं को दिये जाने की प्रकिया का निर्धारण बाद में किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा हडको से लिये जा रहे ऋण अदायगी की गारन्टी राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

(6) ऋण की अदायगी मय ब्याज सहित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। किश्तों की अदायगी में विलम्ब,ब्याज एवं अन्य किसी प्रकार की देयता उत्पन्न होने की स्थिति पर उसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ राज्य

सरकार द्वारा आवास विभाग के बजट में प्रति वर्ष आवश्यक प्राविधान कराया जायेगा।

(7) ऋण की अदायगी 15 वर्षों में की जायेगी, जिसमें 02 वर्ष की निर्माण अवधि (Moratorium Period) तथा 13 वर्ष की पुर्न–भुगतान अवधि होगी।

(8) हडको से लिये जा रहे ऋण पर देय व्याज का निर्धारण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, वित्त विभाग व हडको के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। चूंकि अन्य विभागों को भी हडको से ऋण दिलाने का समन्वय वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः व्याज व उससे जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को वित्त विभाग के मार्ग दर्शन में अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(9) योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य कोई निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत है।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/2017–बी–4–288/दस–2017–1(बी)–4/2017, दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रयोजन मद में नगरीय आवास के ऋण की अधिकतम धनराशि के रूप में रू0 1000 करोड़ का ऋण की व्यवस्था की जा चुकी है।

5– आवासों के निर्माण के दौरान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा third party inspection कराया जायेगा।

6– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

7.9.17

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषतः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

E:/Awas-1/Yadav//G.O.17